न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवाँ जिला बून्दी(राज0)

पत्र संख्या :—159 / 2020 दायर दिनांक: 30.09.2020

CIS NO:- 2020/00300

पीठासीन अधिकारी :—श्योराम (आर.ए.एस.)

1. परमानन्द पुत्र सुरजमलपुरी जाति गुसांई निवासी शिवपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
2. रामप्रसाद पुत्र सुरजमलपुरी जाति गुसांई निवासी शिवपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी।

—प्रार्थीगण—

बनाम

1. रतनलाल पुत्र सुरजमलपुरी जाति गुसांई निवासी शिवपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
2. राजस्थान सरकार भू—स्वामी जर्ये तहसीलदार साहब नैनवां जिला बून्दी।

—अप्रार्थीगण—

वाद पत्र:— अंतर्गत धारा 251 ए आर.टी एक्ट

उपस्थिति—

प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक 08.12.2021

संक्षेप मे प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम शिवपुरा पटवार मण्डल सहण तहसील नैनवां मे भूमि प्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी की खाता संख्या 66 के खसरा संख्या 320 / 10—09 बीघा कृषि भूमि स्थित है। यह कि ग्राम शिवपुरा पटवार मण्डल सहण तहसील नैनवां में भूमि प्रार्थी संख्या 2 के खातेदारी की खाता संख्या 143 के खसरा संख्या 803 / 320 / 10—08 बीघा कृषि भूमि स्थित है। यह कि ग्राम शिवपुरा पटवार मण्डल सहण तहसील नैनवां में भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी की खाता संख्या 123 के खसरा संख्या 805 / 320 / 20—16 बीघा कृषि भूमि स्थित है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 लगायत लगायत 3 में वर्णित कृषि भूमि का मूल खसरा संख्या 320 है। यह कि प्रार्थना की चरण संख्या 1 लगायत 3 में वर्णित कृषि भूमि मूल खसरा संख्या 320 का पुराना पुर्वजों के समय का रास्ता ग्राम शिवपुरा से आने वाली पक्की सडक जिसके खसरा संख्या 325 हैं, मे होकर देई से इन्द्रगढ जानी वाली सडक में मिलकर पश्चिक से पूरब की ओर खसरा संख्या 320 के दक्षिणी भाग में होकर पूरबी मेर के सहारे—सहारे दक्षिण से उत्तर की ओर जाता है जो वर्तमान में खसरा संख्या 805 / 320 में हैं। इस रास्ते को नक्शा परिशिष्ट अ में लाल स्याही से अ से ब अक्षरों के बीच में दर्शाया है। प्रार्थीगण इसी रास्ते का सदेव से अपने खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 320 व 803 / 320 में आने जाने, गाडी बैल, हल कुली व अन्य कृषि उपकरण लाने ले जाने के काम में लेते चले आ रहे हैं। यह कि प्रत्यार्थी संख्या 1 के मन में बदयानित आ गई है इस पर प्रत्यार्थी संख्या 1 ने अवैध व अनाधिकृत रूप से गत सप्ताह से बलपूर्वक तारबन्दी व गेट लगाकर रास्ता अवरूद्ध करने पर आमदा है। यह कि उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के खाते की जमीन पर आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। इसलिए प्रार्थीगण को अपने खाते की भूमि पर आने जाने व कृषि उपज लाने ले जाने के लिए रास्ता दिलाया जाना आवश्यक है। जिसकी राशि प्रार्थीगण नियमानुसार जमा करवाने को तैयार है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में परिशिष्ट अ,नकल जमाबंदी, नकल नक्शा ट्रेस तथा शपथ—पत्र आदि पेश किये।

Signature Not Verified

अप्रार्थी ने जवाब दावा पेश कर निवेदन [illegible] भूमि के पश्चिमी दिशा की मेर के सहारे प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी की भूमि में जाने [illegible] फीट चौडा रास्ता दिया जावेगा और

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:59:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Scanned with CamScanner

ी भूमि अप्रार्थी की रास्ते में जाएगी उतनी भूमि प्रार्थीगण अप्रार्थी की कृषि भूमि के उत्तरी दिशा में ...त प्रार्थीगण की भूमि में से अप्रार्थी को दें। यह कि प्रार्थीगण को जानकारी है कि अप्रार्थी रतनलाल की ...वे भूमि के पूर्वी दिशा में मेर के सहारे अप्रार्थी का कुआ व विधुत डी. पी. लगी हुई है जहां पर रास्ता ...देया जाना असंभव है। जो खारिज होने योग्य है।

रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार नैनवां से रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिसके अनुसार प्रार्थी के खसरा संख्या 320 में जाने के लिए खसरा संख्या 805/320 के पूर्वी दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर रास्ता चाहा गया है। खसरा संख्या 805/320 के पश्चिम दिशा में मांछली बांध का भराव क्षेत्र व ऊची पाल है। खसरा संख्या 805/320 के पश्चिम दिशा के स्थान पर पूर्व दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर 2 गठ्ठा चौडा तथा 78 गठ्ठा लम्बा गै0 मु0 प्रस्तावित रास्ता भूमि दिया जाना उचित होगा। यह कि प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस में डोटेड लाइन से दर्शाया गया है जिसका क्षेत्रफल रकबा 08 बिस्वा है।

हमने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेज एवं रास्ता रिपोर्ट तहसीलदार नैनवां का अवलोकन किया। पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान केम्प कोर्ट सहण में पेश हुई । उपस्थित पक्षकारान की प्रार्थना पत्र में बहस सुनी गयी। प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तहसीलदार नैनवां ने भी अपने जवाब/रिपोर्ट में प्रार्थीगण को प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ता दिया जाना उचित बताया है। ग्राम शिवपुरा पटवार मण्डल सहण तहसील नैनवां में भूमि प्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी की खाता संख्या 66 के खसरा संख्या 320/10–09 बीघा कृषि भूमि पर पहुंचने के लिए खसरा संख्या 805/320 के पूर्व दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर 2 गठ्ठा चौडा तथा 78 गठ्ठा लम्बा अर्थात 08 बिस्वा गै0 मु0 भूमि , जिसे नक्शा ट्रेस परिशिष्ट "क" में डोटेड लाइन से अंकित किया गया है, के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। जितनी भूमि रास्ते के उपयोग में आयेगी उतनी भूमि की कीमत का नियमानुसार प्रतिकर राजकोष में जमा होने के उपरान्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किया जावे। नक्शा परिशिष्ठ को परिशिष्ठ 'क' नाम दिया गया है जो न्यायालय निर्णय का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार नैनवां को आदेशित किया जाता है कि मौके पर रास्ता बहाल कर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शे में दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 08.12.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां
उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:59:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner